गैस्ट फैकल्टी हेतु अनुबन्ध पत्र

महाविद्यालय का नाम ____________________
जनपद ____________________ विषय ____________________

यह अनुबन्ध पत्र श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ0 .... प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य (प्रथम पक्ष) तथा श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ0 .... (अभ्यर्थी) (द्वितीय पक्ष) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... ग्राम .... पोस्ट .... जिला .... के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन आज दिनांक .... को .... बजे निष्पादित किया जाता है :-

1– द्वितीय पक्ष की तैनाती लोक सेवा आयोग से नियमित चयन–नियुक्ति अथवा शैक्षिक सत्र की समाप्ति, जो भी पहले हो, तक के लिए होगी।

2– द्वितीय पक्ष महाविद्यालय में ऐसे गैस्ट फैकल्टी की हैसियत से कार्य करेगा/करेगी तथा वह अपने आप को राजकीय कर्मचारी नहीं समझेगा/समझेगी और न ही उसे राजकीय कर्मचारी के समान लाभ देय होगा और न ही कोई अधिमान अनुमन्य होगा।

3– द्वितीय पक्ष यदि प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं करेगा/करेगी अथवा इस हेतु निर्धारित मापदण्डों पर खरा न उतरने पर अध्यापन कार्य करने को दी गयी स्वीकृति किसी भी समय बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये रद्द कर दी जायेगी।

4– द्वितीय पक्ष का निरन्तरता, विनियमितीकरण व अन्य किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

5– द्वितीय पक्ष द्वारा दी गयी सूचना/सूचनाऐं तथ्यहीन या असत्य पाये जाने की दशा में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह उसे बिना नोटिस के अनुबन्धात्मक रूप में कार्य करने की दी गयी अनुज्ञा रद्द करते हुए विधिक कार्यवाही भी की जायेगी तथा शिक्षा सत्र के मध्य में उसके कार्य के मूल्यांकन के दौरान सफल न पाये जाने की दशा में महाविद्यालय अथवा स्थानीय स्तर पर विपरीत तथ्य पाये जाने की दशा में अनुबन्ध स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

6– इस अनुबन्ध में उल्लिखित पद पर तैनात द्वितीय पक्ष को प्रति माह रू0 25,000/– मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकेगा।

7– द्वितीय पक्ष का आगामी शैक्षिक सत्र के लिए अनुबन्ध बढाये जाने हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।

यह व्यवस्था नितान्त अस्थाई एवं कामचलाऊ रूप में नियत अवधि तक के लिए की जा रही है जो कि कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

हस्ताक्षर व नाम प्राचार्य (प्रथम पक्ष)
दिनांक

हस्ताक्षर एवं नाम सम्बन्धित गैस्ट फैकल्टी (द्वितीय पक्ष)
दिनांक

हस्ताक्षर साक्षी 1– ....

2– ....